

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 152/2024

रमेश कुमार  
सतपाल

पिसरान स्व. लाधुराम जाति नायक साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



वादीगण

बनाम

1. रूकमा देवी पत्नी स्व. लाधुराम जाति नायक साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रामकिशन पुत्र स्व. लाधुराम जाति नायक साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कृष्णा देवी पुत्री स्व. लाधुराम (फीत )
- 3/1. मोनिका पुत्री कृष्णा देवी पत्नी जसवन्त जाति नायक साकिन रामपुरीया तह. टिब्बी।
- 3/2. समेस्ता पुत्री कृष्णा देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति नायक साकिन सूरवाली तह. पीलीबंगा।
- 3/3. संजू } पुत्रीया } जाति नायक साकिन सूरवाली
- 3/4. रवीना } कृष्णा देवी } तहसील पीलीबंगा
- 3/5. पूनम } पत्नी रामस्वरूप } जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. अर्जुन पुत्र स्व. सरोज पुत्री स्व. लाधुराम पुत्र रामप्रताप जाति नायक साकिन वार्ड नं. 08 केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. सुनीता पुत्री स्व. सरोज पुत्री स्व. लाधुराम पुत्र रामप्रताप पत्नी रामपाल जाति नायक साकिन 24 ओ भुटीवाला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. कविता पुत्री स्व. सरोज पुत्री स्व. लाधुराम पुत्र रामप्रताप पत्नी सोनू जाति नायक साकिन कोनी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. ममता पुत्री स्व. सरोज पुत्री स्व. लाधुराम पुत्र रामप्रताप पत्नी छोटूराम जाति नायक साकिन 7 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88-53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**  
**डिक्री**

दिनांक :- 20/04/2025



वादी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व, 3/1 ता 3/5 की ओर से श्री नरेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 2,6,7 की से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर श्री कमलेश कुमार व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक

सहायक कलक्टर एव

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उमय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं इक्याल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -  
क. वादी सं.1 को प्राप्त भूमि -तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 41/41 के प.नं. 51/286 (10) किला नं. 19/1/.169, 20, 21, 22/1/.240, 23 ता 25 की 1.674 हैक्. नहरी खातेदारी व चक 2 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 111/88 के प.नं. 49/278 (13) किला नं. 1/2/.211, 2/.084 की 0.295 हैक्. नहरी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं लाधुराम का नाम कलमजन किया जाता है।

ख. वादी सं. 2 व प्रतिवादी संख्या 6-7 को प्राप्त भूमि - तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 41/41 के प.नं. 51/286 (10) किला नं. 12/3/.085, 13 ता 18, 19/1/.071 की 1.674 हैक्. नहरी खातेदारी में सतपाल की 1.395 है. शेष .279 है. प्रतिवादी संख्या 6-7 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व चक 2 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 111/88 के प.नं. 49/278 (13) किला नं. 2/.169, 3/1/.127 की कुल 0.296 हैक्. में वादी सतपाल को .247 है. का व शेष .049 है. प्रतिवादी संख्या 6-7 का बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं लाधुराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमा मित्तल आर.ए.एस. )  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
सहायक कलक्टर एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा

